

नागरिक शिकायत सूचना पत्र

Chatham Township Police Department के सदस्य यायोचति, परभावी और निष्पक्ष ढंग से कानून लागू कराने रूपा सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह सभी के सर्वोत्तम हित में है कि किसी विशेष अधिकारी के परदर्शन के बारे में आपकी शिकायत को यायोचति ढंग से और शीघ्रता से हल किया जाए। आपकी शिकायत की जाा के लिए पुलिस विभाग के पास औचपारिक परक्रियाएँ हैं। इन परक्रियाओं का डिजाइन नागरिकों और कानून लागू कराने वाले अधिकारियों, दोनों के अधिकारों की रक्षा करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है:

1. गुमनाम स्रोतों सहित किसी भी व्यक्तित्व से अधिकारी / कर्मचारी के बारे में कदाचार की रिपोर्ट या शिकायत किसी भी समय स्वीकार की जानी चाहिए।
2. शिकायतकर्ता की आयु, नस्ल, नस्ल, धर्म, लिंग, यौन अभिवि यास, विकलांगता या आवरण क्तस्थिति की परवाह किए बिना शिकायत स्वीकार किया जाएगा।
3. आपकी शिकायत को किसी उर्ध्वधिकारी या आंतरिक मामलों के लिए विशेष रू से परशिक्षित अधिकारी के पास भेजा जाएगा जो मामले की विसृत और उद्देश्यपूर् जाा करेंगे।
4. आपको घरना के बारे में विसृत विवर दे कर जाा में मदद करने के लिए कहा जा सकता है कि क्या हुआ था या / और अ य महत्वपूर्ण जानकारी या दस्तावेज उपलब् कराने के लिए कहा जा सकता है।
5. कानून लागू कराने वाले अधिकारियों के विरूद् सभी शिकायतों की विसृत जाा की जाती है। यदि अनुरोध किया जाता है, तो आपको जाा की क्तस्थिति और उसके अंतिम परिणाम से अवगत कराया जाएगा, और आप संपर्क जानकारी परदान करते हैं। अधिरोपित सरीक सजा गोपनीय है, लेकिन जाा के अंतिम परिणाम के बारे में आपको सूचित किया जाएगा, अर्थात्:
 - a. शिकायत की वैधता मान ली गई: सबूतों को देखने से पता चलता है कि अधिकारी ने किसी कानून; विनियमन; महा यायवादी (अर्ॉनी जनरल) या काउंरी अभियोजक द्वारा जारी किए गए आदेश, दिशानिर्देश, नीति या परक्रिया; एजेसी परोरॉकॉल; पचिरालन परक्रिया; सिद् त; या परशिक्षित का उल्लंघन किया है।
 - b. शिकायत निराधार पाया गया: सबूतों को देखने से पता चलता है कि कथित कदाचार नहीं हुआ था।
 - c. दोषमुक्त कर दिया गया: सबूतों को देखने से पता चलता है कि कथित आचरट हुआ था, लेकिन किसी भी कानून; विनियमन; महा यायवादी (अर्ॉनी जनरल) या काउंरी अभियोजक द्वारा जारी किए गए आदेश, दिशानिर्देश, नीति या परक्रिया; एजेसी परोरॉकॉल; पचिरालन परक्रिया; सिद् त; या परशिक्षित का उल्लंघन नहीं किया गया था।
 - d. शिकायत अवैध है: आरोप को स्पष् रू से साबित करने या खारिज करने में जाा पर्याप्त सबूतों का खुलासा करने में विफल रहा।
6. यदि हमारी जाा यह दर्शाती है कि अपराध किया गया हो सकता है, तो काउंरी अभियोजक को सूचित किया जाएगा। आपको अदालत में गवाही देने के लिए कहा जा सकता है।
7. यदि हमारी जाा के परिणामस्वरूप किसी अधिकारी पर विभाग के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, तो विभागीय सुनवाई में आपको गवाही देने के लिए कहा जा सकता है।
8. यदि हमारी जाा दर्शाती है कि शिकायत निराधार है या अधिकारी ने ठीक से काम किया है तो मामला बंद कर दिया जाएगा।
9. आंतरिक मामलों की जाा गोपनीय है और सभी अनुशासनात्मक सुनवाई जनता के लिए बंद रहेगी, जब तक कि प्रतिवादी अधिकारी खुली सुनवाई का अनुरोध नहीं करता है।
10. आप मामले के बारे में किसी भी अतिरिक्त जानकारी या किसी भी परश के साथ Internal Affairs Investigator को 973-377-0100 पर कॉल कर सकते हैं।

आंतरिक मामलों को रिपोर्ट करने के लिए फार्म**रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति (वैकल्पिक, लोकेन सहायक)**

पूरा नाम _____

फोन _____ पसंदीदा?

पता (अपार्टमेंट #) _____

ई-मेल _____

शहर, राज्य, जिप _____

जन्म की तारीख _____

आरोप के अधीन अधिकारी (जो भी जानकारी है, उसे दें)

अधिकारी(ओं) का नाम _____

बैज नंबर _____

घटना स्थल _____

तारीख / समय _____

नीचे दिए गए स्थान में घटना का प्रकार (यातायात रोकना, सड़क मुठभेड़) और कथित आचरण के बारे में किसी भी जानकारी का वर्णन करें। आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए अतिरिक्त पृष्ठों का उपयोग कर सकते हैं, और उसे इस दस्तावेज में संलग्न करें। यदि आप अधिकारी का नाम या बैज नंबर नहीं जानते हैं, तो पहचान करने के लिए कोई अन्य जानकारी प्रदान करें।

अन्य जानकारी

इसकी रपट कैसे की गई थी?

 व्यक्तिगत रूप से फोन के माध्यम से पत्र के द्वारा ई-मेल से अन्य _____
कोई भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किया? हाँ नहीं यदि हाँ, तो वर्णन करें:क्या घटना की रपट पहले की गई थी? हाँ नहीं यदि हाँ, तो वर्णन करें:**रपट प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा**

शिकायत प्राप्त करने वाला अधिकारी _____

बैज नंबर _____

तारीख / समय _____

शिकायत की समीक्षा करने वाले पर्यवेक्षक

बैज नंबर

तारीख / समय